न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 07/2022

जी.सी.एम.एस. : 2022/20

अपीलान्ट **बनाम** **रेस्पोडेन्ट**

मदनलाल पुत्र पुखराज जाति लोहार निवासी मारवाड जंक्शन जिला पाली — राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र व्यास
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27-2-2024

अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार मारवाड जंक्शन के राजस्व प्रकरण संख्या 14/2021 सरकार बनाम मदनलाल में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2021 को अपास्त कराने हेतु प्रस्तुत की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि अपीलाण्ट के विरूद्ध सहायक अभियन्ता सार्वजनिक विभाग मा0ज0 द्वारा दिनांक 07.09.2021 को रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि ग्राम हेमलियावास तहसील मारवाड जंक्शन की सरहद में खसरा नम्बर 184 गैर मुमकिन सड़क के रकबा 30 गुणा 11 कुल 330 वर्गफीट पर अपीलाण्ट द्वारा सवंत 2078 में अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया है, जिस पर रेस्पोडेण्ट द्वारा राज. भु–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही की गई, जिस पर अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट के समक्ष दिनांक 08.11.2021 को जवाब पेश कर जैर आराजी का सीमांकन करवाने एंव एक अवसर देने हेतु आगे पेशी देने का निवेदन किया जिस पर आगामी पेशी दिनांक 22.12.2021 मुकर्रर की। जैर अपील प्रकरण में बैक डेट में ही आदेश जारी कर बेदखली एवं 50/– रूपये जुर्माना आरोपित कर दिया। जैर अपील आदेश मनमाने ढंग से अनुचित एंव प्राकृतिक सिद्वान्तो के विपरित जाकर किया गया हैं। अपीलाण्ट द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया है। वह अपने पट्टेशुदा भुमि पर काबिज है एवं उसी में निर्माण कार्य करवा रहा है। रेस्पोडेण्ट ने शिकायतकर्ता भंवरलाल से मिलावट कर अपीलाण्ट की पट्टाशुदा आराजी पर तोड–फोड की है। रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील आराजी के सीमांकन के प्रार्थना पत्र को निस्तारित किये बिना एंव अपीलाण्ट को सुनवायी एवं साक्ष्य का पर्याप्त समय दिये बिना मनमाने ढंग से जैर अपील आदेश पारित कर दिया। अपीलाण्ट द्वारा नियत तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने के बावजुद भी उसे अनुपस्थित दिखा कर निर्णय पारित किया गया है। न्यायालय तहसीलदार मा0ज0 में एक अन्य प्रकरण संख्या 650/2020

अति. जिला कलक्टर, पाली

विचाराधीन है जिसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा खसरा नंबर 462/449 एवं 449/182 पर निर्माण कार्य कर अतिक्रमण करने के संबध मे है,जबकि जैर अपील प्रकरण में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने खसरा नम्बर 184 पर अतिक्रमण बताया है जिससे सार्वजनिक निर्माण विभाग के विरोधाभासी कथन के कारण अपीलाण्ट ने सीमांकन के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया था। जैर अपील पत्रावली में अपीलाण्ट के विरूद्ध अतिक्रमण के कोई साक्ष्य सबूत पत्रावली पर नही है। मात्र सहायक अभियन्ता द्वारा गलत सुचना देने के आधार पर एवं उसकी गलती को छुपाने की नियत से जैर अपील प्रकरण दर्ज कर निर्णय पारित किया गया है। जैर अपील आराजी अपीलाण्ट की पट्टाशुदा व खातेदारी आराजी है जिस पर वर्षो से अपीलाण्ट का कब्जा है। अपीलाण्ट का किसी रास्ते या सडक की भुमि पर कब्जा नही है। जैर अपील आदेश की जानकारी होने के बाद अपीलाधीन आदेश की प्रति दिनांक 30.12.2021 को प्राप्त होने से अपील श्रीमान के न्यायालय में प्रस्तुत की है। जैर अपील आदेश की समस्त कार्यवाही नियम विरूद्ध एवं विधि के मान्य सिद्धातों के विपरित जाकर जवाब एवं साक्ष्य के पर्याप्त अवसर दिये बिना पारित किया गया है, जो खारिज योग्य है।

हमने अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार मारवाड के समक्ष सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग मारवाड जंक्शन ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर जाडन मारवाड जंक्शन जोजावर सडक एसएच 61 पर श्री मदनलाल लौहार पुत्र पुखराज लौहार द्वारा तीन दुकान का निर्माण खसरा नम्बर 184 रकबा 1.745 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन सडक होने से सार्वजनिक निर्माण विभाग की सम्पति है। राजस्व रेकर्ड के अनुसार सडक के मध्य से 50 फिट की दुरी तक सार्वजनिक निर्माण विभाग की भुमि है लेकिन अपीलाण्ट मदनलाल ने सडक के मध्य से 39 फिट की औसत दुरी पर ही दुकानो का निर्माण कार्य करवाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग की 30.00x11.00=330.00 वर्ग फीट भूमि पर अतिक्रमण कर दुकानों को वाणिज्यक प्रयोजनार्थ किराये पर देकर उपयोग ले रहा है, जिसके आधार पर दिनांक 07.09.2021 को प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को वास्ते जवाब/पेरवी हेतु दिनांक 23.09.2021 को पेशी दी गई। नियत तारीश पेशी पर अनुपस्थित रहने एवं प्रशासन गावों के संग अभियान मे व्यस्तता के कारण दिनांक 08.11.2021 को निर्णय पारित किया गया। जैर अपील आराजी का पुर्व में सीमांकन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवा दिया था, जिसका पुनः सीमांकन करवाने का कोई औचित्य नही रह जाता है जो मातहत अदालत की आदेशिका से स्पष्ट है। अपीलाण्ट के नाम विधिनुसार नोटिस जारी किया गया तथा उसे सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात मातहत अदालत द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अपीलाण्ट का जैर अपील आराजी पर पक्की दुकाने बनाकर अतिक्रमण पाया गया है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि मौके से निर्माण हटाया जा चुका है इसलिए अपील निष्प्रभावी होने से भी खारीज योग्य है। अपीलाण्ट के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही विधिवत व नियमानुसार की गई है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत यह अपील इन निर्देशो के साथ खारिज की जाती है कि अपीलांट द्वारा यदि जैर अपील आराजी के पुनः सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र पेश किया जावे तो तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन सीमाज्ञान की कार्यवाही करे साथ ही सहायक अभियन्ता की रिपोर्ट दिनांक 7.9.2021 में अपीलांट के साथ अप्रार्थी

अति. जिला कलक्टर, पाली

भंवरलाल पुत्र उम्मेदराम का भी 151.18 वर्गफीट भूमि पर अतिक्रमण बताया गया है इस संबंध में तहसीलदार जांच करे यदि अतिक्रमण पाया जावे तो अतिक्रमी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

अतः तहसीलदार मारवाड जंक्शन के प्रकरण संख्या 14/2021 बअनवान सरकार बनाम मदनलाल में पारित निर्णय दिनांक 08.11.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली भिजवाई जावे।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27-2-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)